

**छत्तीसगढ़ शासन,  
वाणिज्यिक कर विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

**अधिसूचना**

नया रायपुर, दिनांक 19.7.2016

क्रमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67) - छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, उन उद्योगों (अपात्र), जो परिशिष्ट-तीन में विनिर्दिष्ट है, से भिन्न, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यवसायियों के वर्ग को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा प्रथम बार कर से छूट लेने (चाहने) के दिनांक से, जो भी पहले हो, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जहां उद्योग स्थित है, के अनुसार, कॉलम (4) में दर्शाये गये उद्योगों की श्रेणी में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिये, कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि हेतु, कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये, परिशिष्ट-एक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अनुसार, उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से, दिनांक 1 नवम्बर, 2014 से, पूर्ण छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

**अनुसूची**

अ. क्र.	व्यवसायी का वर्ग	क्षेत्र, जहां उद्योग स्थापित है	उद्योगों की श्रेणी	छूट की कालावधि	मुख्य निर्बंधन तथा शर्तों जिनके अधीन रहते हुए छूट दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद औद्योगिक इकाई या मेगा प्रोजेक्ट या अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के रूप में नवीन उद्योग की स्थापना की हो अथवा जिन्होंने विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया हो अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में शक्तीकरण (डायवर्सिफिकेशन), पूर्व सूचना सहित किया हो।	(क) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-7 के अनुसार)  (ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-8 के अनुसार)	(1) सामान्य उद्योग (औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.2(4) के अनुसार)  (2) प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.2(2) के अनुसार)  (1) सामान्य उद्योग (औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.2(4) के अनुसार)  (2) प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2014-19 की	5 वर्ष  6 वर्ष  6 वर्ष  7 वर्ष	1. जब छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की अनुसूची-दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) के विनिर्माण प्रक्रिया में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाये। 2. स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया माल, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज हो। 3. उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करता हो। 4. व्यवसायी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छूट पात्रता प्रमाण पत्र का धारित करता हो। 5. नवीन औद्योगिक इकाईयों को मूल प्रस्तावित उत्पादन क्षमता तक छूट प्राप्त होगी एवं

			कड़िका 15.2(2) के अनुसार)		<p>विद्यमान औद्योगिक इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयों को विस्तारित उत्पादन क्षमता पर छूट प्राप्त होगी; एवं शवलीकरण (डायवर्सन) करने वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रस्तावित शवलीकरण पर छूट प्राप्त होगी।</p> <p>6. व्यवसायी, राज्य के मूल निवासियों को, अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय (प्रबंधकीय) पदों के मामले में न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करेगा।</p>
--	--	--	---------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### टीप :

- (1) औद्योगिक नीति 2014-19 की कड़िका 15.20 के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों/क्षेत्र में नवीन भू-आबंटन प्राप्त कर स्थापित नवीन उद्योग को, उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित अवधि के अतिरिक्त, एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि की छूट की पात्रता होगी। तथापि उद्योग, जो औद्योगिक क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के माध्यम से स्थापित है, उन्हें एक वर्ष की अतिरिक्त छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- (2) औद्योगिक नीति 2014-19 की कड़िका 15.4 एवं 15.5 के अनुसार, अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डीआई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ उद्योग स्थापित करने वाले उद्योग, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति या परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योगों को, उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित अवधि के अतिरिक्त, एक वर्ष की अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी। यदि इसमें सूचीबद्ध वर्ग के उद्यमी, उपरोक्त टीप (1) की परिधि में आते हैं, तो उन्हें टीप (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी।
- (3) यदि औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) लागू किया जाता है तो प्रवेश कर के भुगतान से छूट, पात्रता की तिथि से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित हो जायेगी।
- (4) इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, परिभाषायें निम्नानुसार हैं—
  - (एक) "पंजीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र.2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यवसायी;
  - (दो) औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट परिभाषाएँ लागू होंगी;

(तीन) शब्द, जो औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 में परिभाषित नहीं है, उन्हें इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) में दी गई परिभाषा लागू होगी ।

- (5) औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 के कंडिका 18 में दी गई टीप के अनुसार, "समामेलन या संविलय के कारण सृजित निवेश" से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के निवेश से सृजित विद्यमान आस्तियां, जिसमें भूमि, शेड एवं भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत एवं/अथवा जल आपूर्ति व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं, का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग।

### परिशिष्ट-एक

1. (एक) ऐसा कोई पंजीकृत व्यवसायी, जिसने पात्र नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है या विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार / शक्तीकरण किया है एवं इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने की वांछा करता है, तो प्रपत्र-क में, पूर्ण आवेदन संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, को आवेदन करेगा। आवेदन सामान्यतः उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ उद्योग विभाग व वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र यथा ई0एम0 पार्ट-I या राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने वाला वैकल्पिक प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, ई0एम0 पार्ट-II (यदि लागू हो तो), वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र तथा औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.15 के अनुसार निवेशक के वर्ग से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

**टीप :** यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट हेतु संबंधित आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगे, किन्तु यदि किसी इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 1 वर्ष की अवधि, औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि के अवसान के पश्चात् आती है, तो संबंधित इकाई के लिये आवेदन की अंतिम तिथि, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(दो) जहां ऐसा आवेदन विहित समय सीमा के पश्चात् किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र की पात्रता निर्धारण करने के संबंध में विनिश्चय करने के लिये सक्षम समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन, व्यवसायी द्वारा पर्याप्त कारणों से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, तो वह, कारणों को लेखबद्ध कर, ऐसे विलंब, जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगी, माफ कर सकेगी और आवेदन के गुण-दोष के आधार पर विचार तथा उसका निपटारा कर सकेगी। इससे अधिक विलंब के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आवेदन की एक प्रति, उस वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी, जिसमें ऐसा व्यवसायी छत्तीसगढ़ मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत है।
3. आवेदन प्राप्त करने वाले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक एवं वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करेगा एवं इस अभिस्वीकृति में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करेगा। आवेदन पत्र में किसी अपूर्ण विवरण की जानकारी, आवेदक को 15 दिवस के भीतर लिखित में दी जायेगी। तत्पश्चात् संशोधित आवेदन केवल एक ही बार ग्राह्य किया जायेगा।
4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी, आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात्, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयों के प्रकरणों में, प्रतिवेदन क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं उप आयुक्त वाणिज्यिक कर को तथा मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग के प्रकरणों में क्रमशः आयुक्त/संचालक, उद्योग एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेंगे।

5. इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिये, ऐसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के लिये दो समितियां होंगी,—

**(अ) जिला स्तरीय समिति—**

- |                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. जिला कलेक्टर                                                                                                                               | अध्यक्ष    |
| 2. उद्योग संचालनालय में पदस्थ संयुक्त संचालक की श्रेणी से अनिम्न का अधिकारी                                                                   | उपाध्यक्ष  |
| 3. अग्रणी (लीड) बैंक अधिकारी                                                                                                                  | सदस्य      |
| 4. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर                                                                                                                     | सदस्य      |
| 5. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (जो राज्य शासन के उद्योग विभाग के उप संचालक की श्रेणी का अधिकारी हो) | सदस्य      |
| 6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र                                                                               | सदस्य—सचिव |

**(ब) राज्य स्तरीय समिति—**

- |                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर                                                       | अध्यक्ष    |
| 2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड | सदस्य      |
| 3. आयुक्त/संचालक, उद्योग                                                      | सदस्य—सचिव |

6. जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 2 से होगी किन्तु जिला स्तरीय समिति के संबंध में गणपूर्ति, जिला स्तरीय समिति के अनुक्रमांक 4 पर एवं राज्य स्तरीय समिति के अनुक्रमांक 1 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जायेगी ।

जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी एवं प्रकरणों पर निर्णय लिया जायेगा ।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में, प्रकरण को, प्रकरण पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करते हुए उनके समक्ष रखे जायेंगे ।

7. जिला स्तरीय समिति, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी तथा राज्य स्तरीय समिति मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी ।
8. राज्य स्तरीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शिथिल करने/जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध व्यवसायी की अपील पर सुनवाई करने की शक्ति होगी ।
9. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने/निरस्त करने पर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, तदनुसार पात्रता प्रमाण पत्र/निरस्तीकरण आदेश जारी करेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने/निरस्त करने पर, आयुक्त/संचालक, उद्योग तदनुसार पात्रता प्रमाण पत्र/निरस्तीकरण आदेश जारी करेगा। निरस्तीकरण आदेश में निरस्तीकरण के कारण, अपील प्राधिकारी के पद अन्तर्विष्ट होंगे एवं अपील करने की निर्धारित अवधि का भी उल्लेख होगा ।
10. पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व, व्यवसायी को स्वयं के व्यय पर, संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के साथ, विहित प्ररूप में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन करना होगा ।
11. समिति, सामान्यतः बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बैठक अधिक बार आहूत की जा सकेगी । समिति, प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात, पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन स्वीकृत करने या उसके लिये किये गये आवेदन को निरस्त करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी ।

12. राज्य स्तरीय समिति को, या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति के निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध, अपीलीय समिति होगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा एक बार निर्णय हो जाने के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों के पुनर्विलोकन संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश, जिला स्तरीय समिति पर बाध्यकारी होंगे।
14. इस अधिसूचना के अधीन किसी व्यवसायी द्वारा कर के भुगतान से छूट की पात्रता अथवा उससे संबंधित किसी विषय के संबंध में, राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से उद्भूत किसी विवाद की दशा में, प्रकरण को राज्य अपीलीय फोरम को निर्दिष्ट की जा सकेगी। यह अपील, राज्य स्तरीय समिति के आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(एक) राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- |                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 1. भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—     | अध्यक्ष    |
| 2. भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग—           | सदस्य      |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग—         | सदस्य      |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग— | सदस्य      |
| 5. प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—   | सदस्य-सचिव |

(दो) राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति तीन से होगी एवं गणपूर्ति, उप-कंडिका (एक) के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट सदस्य, तथा अनुक्रमांक 2 या 3 में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से किसी एक, की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जायेगी।

(तीन) राज्य अपीलीय फोरम, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर विचार के पश्चात्, अधिसूचना के उपबंधों के सामंजस्य को ध्यान में रखते हुये ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे। ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति को फोरम के समक्ष प्रकरण (पक्ष) प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(चार) राज्य अपीलीय फोरम द्वारा पारित आदेश अंतिम एवं बंधनकारी होगा और उक्त आदेश का पुनर्विचार/पुनर्विलोकन ग्राह्य नहीं होगा।

#### परिशिष्ट—दो

इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट, निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध होगी :—

1. (क) व्यवसायी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से प्रपत्र-ख में विनिर्दिष्ट प्ररूप तथा प्रक्रिया में ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके संबंध में छूट उपलब्ध है और अपने कर निर्धारण के समय, कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
- (ख) ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व्यवसायी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके दौरान ऐसा प्रमाण पत्र उसे जारी किया गया हो।
- (ग) शासन को देय अन्य वाणिज्यिक कर/वैट (VAT) का पूर्ण भुगतान का प्रमाण तथा पिछली तिमाही से संबंधित रिटर्न प्रस्तुत की जायेगी।
2. यदि व्यवसायी को पात्रता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन में तथ्यों के सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी हो गया है, तो प्रमाण पत्र उस तारीख से निरस्त कर दिया जायेगा जिस तारीख से वह जारी किया गया था और तदुपरांत इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापस हो जायेगी और ऐसे कर की संपूर्ण रकम जिसके संबंध में छूट का लाभ निरस्तीकरण की तारीख तक ले

लिया गया है, व्यवसायी से एकमुश्त रकम, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित वसूली योग्य होगी।

3. (क) यदि व्यापारी कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है किंतु बाद में उसे बंद कर देता है या उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर की अपनी किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई में उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है तो पात्रता प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसा निरस्तीकरण आदेश, उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है।
- (ख) उत्पादन से सारभूत कमी हुई तब समझी जायेगी, यदि उसी उत्पाद का उत्पादन तत्काल पूर्व के 5 वर्षों के औसत उत्पादन के स्तर से या स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से, उनमें जो भी कम हो, नीचे गिर गया है।
4. ऐसा कोई व्यवसायी, जो उसके द्वारा स्थापित की गई नवीन औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का विकल्प लेता है और जो छत्तीसगढ़ मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत किसी अन्य व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिये पूर्व से ही पंजीयन प्रमाण पत्र धारण करता है, ऐसे पंजीयन के होते हुये भी, नई विनिर्माता औद्योगिक इकाई के रूप में पृथक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
5. (क) व्यवसायी छूट के लिये पात्रता की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट के लिये पात्रता की कालावधि समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये भी उसे चालू रखेगा।
- (ख) आयुक्त/संचालक, उद्योग की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यवसायी,—
- (1) संपूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की स्थल में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, या
  - (2) औद्योगिक इकाई में कुल पूंजी निवेश के किसी सारभूत भाग का व्ययन नहीं करेगा, या
  - (3) उस कालावधि के दौरान जिसमें छूट का लाभ उठाया जा रहा है तथा छूट की पात्रता कालावधि की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- टीप— यदि उद्योग में 51 प्रतिशत से कम अंश है तो स्वामित्व परिवर्तन माना जावेगा।
- (ग) यदि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन व्यवसायी के समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को अंतरित हो जायेंगे।
6. व्यवसायी, छत्तीसगढ़ मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कर विवरणी, नियमित रूप से वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
7. प्रत्येक व्यवसायी, क्रय किये गये माल तथा विक्रय किये गये उत्पादों के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुये एक खाता संधारित करेगा।
8. यदि कर की वह रकम, जिसके संबंध में एक वर्ष में रु. 5 लाख से अधिक का छूट का लाभ लिया जा रहा है, तो पात्रता प्रमाण-पत्र तभी विधिमान्य होगा, जबकि व्यापारी, सम्यक् रूप से स्वप्रमाणित, हस्ताक्षरित, उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के रूप में वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।

9. व्यवसायी, पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय वर्ग में इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत में रोजगार प्रदान करेगा ।
10. (क) इस अधिसूचना के किन्हीं प्रावधानों एवं किन्हीं शर्तों का उल्लंघन, इस अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र को जारी करने की मंजूरी देने वाली समिति द्वारा ऐसे पात्रता प्रमाण पत्र रद्द किये जाने के लिये दायित्वाधीन होगा ।
- (ख) यदि परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हो तो ऐसे निरस्तीकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा ।

**परिशिष्ट-तीन**  
**(औद्योगिक नीति 2014-19 का परिशिष्ट-2)**  
**(संतृप्त अपात्र उद्योगों की सूची)**

**(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त अपात्र उद्योगों की सूची-**

1. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग.
2. एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस.
3. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग.
4. आरा मिल (सॉ मिल).
5. लेदर टैनरी.
6. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना).
7. किसी भी उत्पाद की रि-पैकिंग.
8. मिनरल वाटर.
9. पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बैग्स को छोड़कर).
10. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर).
11. चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर.
12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राइंडिंग/पलवराइजिंग.
13. स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण.
14. स्पंज आयरन.
15. क्लंकर.
16. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें।

**(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची-**

1. राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग.
2. हालर मिल.
3. मुरमुरा मिल.
4. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट.
5. खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी.
6. मिनी सीमेंट प्लांट.
7. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं.

\*\*\*\*\*

**टीप:-**

संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

प्रपत्र-क

प्रवेश कर की छूट हेतु पात्रता प्रमाणपत्र के लिये आवेदन  
(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन)

मैं ..... (व्यवसायी का नाम) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र क्रमांक ..... वैधता दिनांक ..... का धारक हूँ, मैंने ..... (इकाई का नाम) नाम से छत्तीसगढ़ के जिले ..... में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है/शवलीकरण किया है, जिसके संबंध में विशिष्टियां निम्नानुसार हैं,-

1. (अ) औद्योगिक इकाई का नाम व पता  
(ब) उद्योग स्थापना का स्थल ..... ग्राम ....., विकासखण्ड ..... जिला .....
2. पंजीयन का विवरण:  
(अ) ई.एम. पार्ट-1 / वैकल्पिक प्रमाण पत्र  
ई.एम. पार्ट-2  
आई.ई.एम. क्र.  
औद्योगिक अनुज्ञप्ति क्र.  
(ब) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र  
(स) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन  
(द) अन्य (यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें)
3. उद्योग की श्रेणी  
(अ) नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/विद्यमान औद्योगिक में शवलीकरण  
(ब) सूक्ष्म/लघु/मध्यम/बहुल/वृहद/वृहत्तर
4. उद्यमिता की श्रेणी:  
सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनिवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/आयात इकाई/विदेशी तकनीक का उपयोगकर्ता उद्योग/महिला उद्यमिता/राज्य का स्थानीय सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति
5. उद्योग के उत्पाद का विवरण:  
(1) नवीन (1) उत्पाद का नाम  
(2) वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा में)  
(3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक  
(2) विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार  
1. उत्पाद का नाम  
2. विस्तार के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा में)  
3. विस्तार के पश्चात् वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा में)  
4. विस्तारित उत्पादन क्षमता  
5. क्षमता विस्तार में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक  
(3) विद्यमान उद्योग इकाई में शवलीकरण



1. विद्यमान इकाई में उत्पाद व उत्पादन क्षमता (मात्रा में)
2. विद्यमान इकाई में शक्तीकरण  
(एक) शक्तीकृत उत्पाद  
(दो) शक्तीकृत उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)  
(तीन) शक्तीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ होने का दिनांक
6. नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/विद्यमान औद्योगिक इकाई में शक्तीकरण में स्थायी पूंजी निवेश

(रूपये लाख में)

स.क्र.	विवरण	निवेश का विवरण				
		नवीन औद्योगिक इकाई	विद्यमान उद्योग	विद्यमान उद्योग में विस्तार/शक्तीकरण	कुल स्थायी पूंजी निवेश	प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भूमि					
2.	शेड/भवन					
3.	प्लांट एवं मशीनरी					
4.	विद्युत आपूर्ति					
5.	जल आपूर्ति					
	योग					

7. नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में उत्पादन क्षमता के विस्तार/शक्तीकरण में विनिर्मित उत्पादों की प्रविष्टि/प्रविष्टियों का विवरण—

(क) वैट पंजीयन प्रमाण पत्र

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

8. विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोग अथवा उपयोग के लिये माल की विशिष्टियां—

स.क्र. माल का विवरण

मात्रा

1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

9. कच्चे माल के प्रथम क्रय का दिनांक तथा नाम .....

10. रोजगार के मापदण्ड का अनुपालन—

(अ) नवीन औद्योगिक इकाई

श्रम की श्रेणी	प्रदत्त रोजगार की कुल संख्या	राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार की संख्या	कुल प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अकुशल श्रमिक			

कुशल श्रमिक			
प्रशासकीय / प्रबंधकीय पद			

(ब) विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/शवलीकरण

विद्यमान औद्योगिक इकाई में रोजगार	विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक दिया गया रोजगार	विद्यमान उद्योग में विस्तार/ शवलीकरण के पश्चात् दिया गया रोजगार	विद्यमान उद्योग में विस्तार / शवलीकरण के पश्चात् दिया गया कुल रोजगार	रोजगार में हुई वृद्धि	रोजगार वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अकुशल श्रमिक					
कुशल श्रमिक					
प्रशासकीय / प्रबंधकीय पद					
योग					

11. प्रवेश कर से छूट हेतु वैकल्पिक दिनांक .....  
(वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक या प्रथम बार छूट लेने का दिनांक, जो भी पूर्व हो)
12. इकाई का बैंक खाता नम्बर -
13. पैन नम्बर/ टिन /सिन नम्बर -  
आवेदक निवेदन करता है कि उक्त अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिए स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाए ।

स्थान.....  
दिनांक.....

हस्ताक्षर/पदमुद्रा सहित

### घोषणापत्र

मैं ..... (शपथकर्ता का नाम एवं पदनाम), .....  
..... (औद्योगिक इकाई का नाम व पता) यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे ज्ञान में पूर्णतः सही है, एवं मैंने अधिसूचना का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है और मैं ..... (व्यवसायी/उद्योग का नाम) की ओर से घोषणा पत्र देने के लिए अधिकृत हूँ।

मेरे द्वारा उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों एवं अनुसूची के कालम (6) में दी गई मुख्य निर्बन्धन तथा शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा। यह भी घोषित करता हूँ कि उद्योग स्थापना/संचालन हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जिनका विवरण निम्नानुसार है, वैध है/नवीनीकृत है। मेरे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा यदि छूट पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है तो मेरे द्वारा संपूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण की तारीख तक ले लिया गया है, उसका एकमुश्त भुगतान मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज एक माह की अवधि में किया जायेगा ।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....  
नाम व पदनाम .....

**प्रपत्र-ख**

**प्रवेश कर छूट के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र**

( वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .....दिनांक ..... के अधीन जारी )

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (नाम व पता) .....छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी ..... वृत्त द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक ..... का धारक व्यवसायी है व व्यवसायी नवीन औद्योगिक इकाई/ विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारित क्षमता/विद्यमान औद्योगिक इकाई में शक्तीकरण के संदर्भ में प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

2. व्यवसायी ने नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/ विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में शक्तीकरण किया है और वह माल के विनिर्माण में नीचे दर्शाये अनुसार माल के उपभोग अथवा उपयोग के संदर्भ में उक्त छूट प्राप्त करने की पात्रता रखता है और उक्त माल उसके छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है—

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

3. व्यवसायी ने नवीन औद्योगिक इकाई स्थापना के लिये/ विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/ शक्तीकरण के लिये दिनांक ..... को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है ।

4. नवीन औद्योगिक इकाई का उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता —

या

विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर विस्तारित वार्षिक उत्पादन क्षमता—

(क) विस्तार के पूर्व उत्पादन क्षमता .....

(ख) विस्तार के पश्चात् उत्पादन क्षमता .....

(ग) या विद्यमान उद्योग में शक्तीकरण के तहत शक्तीकृत उत्पाद का नाम एवं उत्पादन क्षमता.....

5. व्यवसायी द्वारा प्रवेश कर से छूट हेतु चयनित दिनांक .....

6. व्यवसायी द्वारा नई औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक..... को प्रारंभ की गई है ।

7. उद्योग की श्रेणी (सामान्य क्षेत्र उद्योग/प्राथमिकता श्रेणी उद्योग).....

8. उद्योग स्थापना का क्षेत्र (औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र ).....

9. औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता —

(क) नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापित क्षमता .....

(ख) विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार —

(एक) विस्तार के पूर्व उत्पादन क्षमता .....

(दो) विस्तार के पश्चात् उत्पादन क्षमता .....

(ग) विद्यमान औद्योगिक इकाई में शवलीकरण

(एक) शवलीकृत उत्पाद का नाम.....

(दो) शवलीकरण के पूर्व उत्पादन क्षमता.....

(तीन) शवलीकरण के पश्चात उत्पादन क्षमता.....

10. यह प्रमाण पत्र दिनांक ..... से दिनांक..... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की अवधि के लिये विधिमान्य है ।

स्थान.....


दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पदनाम .....

आयुक्त/संचालक उद्योग  
/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..... (नाम)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 19.07.2016

क्रमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67) दिनांक 19.7.2016 अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh**  
**Commercial Tax Department**  
**Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur**

**NOTIFICATION**

Naya Raipur, Dated 19.7.2016

No. F-10-28/2016/CT/V (67) – In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of Entry Tax payable under the said Act, to the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below, other than those industries (ineligible) as specified in Annexure-III, from the date of commencement of commercial production or from the desired date of exemption from tax in first time, whichever is earlier; according to the area specified in column (3) where industry is situated and to the industries specified in class of industries of column (4), for the period specified in column (5), subject to the major restrictions and conditions specified in column (6) of the said Schedule, in accordance with the procedure specified in Annexure-I and general conditions specified in Annexure-II, with effect from 1<sup>st</sup> November, 2014, namely:-

**SCHEDULE**

S. No.	Class of dealers	Area, where industry is situated	Class of industries	Period of Exemption	Major restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Such registered dealers who have established a new industries in the form of Micro/ Small/ Medium/ Large Industrial Unit or Mega Project or Ultra Mega Project or who undertakes	(a) In the industrially developing areas (as per appendix-7 of Industrial Policy 2014-19)	(1) General Industry (as per para 15.2 (4) of Industrial Policy 2014-19)  (2) Priority Industry	5 years          6 years	1. When the goods specified in Schedule-II and III of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (excluding the goods obtained from captive quarry/mining



					least 33 per cent, domiciled in the State.
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------

**Note :**

- (1) As per para 15.20 of Industrial Policy 2014-2019, new industries established by new allotment of land in Industrial areas/park, shall be eligible for additional period of one year exemption, in addition to period mentioned in the schedule above. However for industries established by transfer of land in industrial area, additional exemption of 1 year shall not be available.
- (2) As per para 15.4 and para 15.5 of Industrial Policy 2014-19, eligible industries established by Non Resident Indians (NRI), Foreign Direct Investment, Export Unit, Industries using Foreign techniques, women entrepreneur, retired Indian Military soldier/s of state origin, person or families affected by naxalism and physically challenged entrepreneur shall be eligible for an additional one year exemption, in addition to period mentioned in the schedule above. Also, if the category of entrepreneur enlisted herein, falls within as per Note (1) above, then they shall be entitled for an exemption of another 1 year as specified in Note(1).
- (3) In case Goods and Services Tax (GST) is enforced by the Government of India during the period of the Industrial Policy 2014-19, the exemption from Entry Tax will be limited from date of eligibility to the date of enforcement of GST.
- (4) For the purpose of this notification, definitions are as under -
  - (i) "Registered Dealer" means the dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005(No.2 of 2005).
  - (ii) The definitions specified in Annexure 1 of Industrial Policy 2014-19 shall be applicable.
  - (iii) For the terms which are not defined in Appendix 1 of the Industrial Policy 2014-19, the definition given in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) shall be applicable for the purposes of this notification.
- (5) As per note appended to para 18 of Appendix 1 of the Industrial Policy 2014-19, "investments generated due to amalgamation or merger" means the complete or partial usage of existing assets, which includes land, shed and building, plant and machinery, electricity and /or water supply system etc, created by investment of existing industries.

**ANNEXURE-I**

1. (One) A registered dealer who establishes a new eligible industrial unit or undertakes expansion/diversification in the existing industrial unit and is desirous of availing exemption from payment of entry tax under this notification, shall make an application in Form A, complete in all respect, to the Chief General Manager / General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district wherein such industrial unit is located. The application shall be made ordinarily within 1 year from the date of commencement of commercial production in the industry. The certificates issued by Industries Department

and Commercial Tax Department such as E.M. part-1 or an alternative certificate issued by the State Government ( as the case may be ), E.M. part-2 (if applicable), Commercial Production Certificate, registration certificate of Commercial Tax Department and self attested certificate related to investor class as per Para 15.15 of the Industrial Policy 2014-19, shall be attached along with the application.

Note : It is clarified that application related to entry tax exemption under this notification shall not be accepted in any condition after expiry of the period of Industrial Policy 2014-19, but if the period of 1 year from the date of commercial production of any unit falls beyond the expiry of Industrial Policy 2014-19, then the last date of application for concerned unit shall be one year from the date of commencement of commercial production.

(Two) Where such an application is made after the prescribed time limit and the competent Committee to consider such application and to take a decision with regard to the determination of an eligibility of the certificate, is satisfied that the application could not be submitted by the dealer in time for sufficient reasons, then it may, for reasons to be recorded in writing, condone such delay, which shall not be more than 12 months, and consider and dispose off the application on merits. There shall not be considered on the case of further delay.

2. One copy of the said application shall also be sent to the Commercial Tax Officer of the circle where such dealer is registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005)
3. The Chief General Manager / General Manager, District Trade and Industry Centre and Commercial Tax Department of the circle receiving the application shall give the acknowledgement of the receipt of the application and registration number will be mentioned in this acknowledgement. Any incomplete details in the application form will be given in writing within 15 days to the applicant. Thereafter corrected application will be accepted only once.
4. In case of Micro and Small Industrial Unit, officer of District Trade and Industry Centre/Commercial Tax Officer shall after enquiry and verification of the particulars given in the application, submit his report to the Chief General Manager/General Manager, District Trade and Industry Centre and Deputy Commissioner Commercial Tax respectively and in case of Medium-Large Industrial Unit, Mega Project and Ultra Mega Industry to the Industries Commissioner/Director and Commissioner of Commercial Tax respectively.
5. There shall be two Committees for considering the application made by such industrial units for exemption from payment of entry tax under this notification, -

**(a) The District Level Committee-**

- |                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Collector of the District                                                             | Chairman      |
| 2. Officer not below the rank of Joint Director posted in the Directorate of Industries. | Vice-Chairman |
| 3. Lead Bank Officer                                                                     | Member        |



- |                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4. Deputy Commissioner of Commercial Tax                                                                                                                                       | Member           |
| 5. General Manager, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. (who is an officer of the rank of Deputy Director in Industries Department of State Government) | Member           |
| 6. Chief-General Manager/General Manager, District Trade and Industry Centre                                                                                                   | Member-Secretary |

**(b) The State Level Committee -**

- |                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Commissioner, Commercial Tax                                                  | Chairman         |
| 2. Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. | Member           |
| 3. Commissioner/Director Industries                                              | Member Secretary |

6. The quorum for the District Level Committee shall be 3 and for the State Level Committee it shall be 2, but the quorum in respect of the District Level Committee shall not be deemed to have been completed in the absence of the Member mentioned at serial number 4 of the District Level Committee and Serial No. 1 of the State Level Committee.

In the absence of the Chairman, the Vice-chairman of the District Level Committee shall preside and decide the matters thereof.

In sittings of District level committee and State level committee, the case shall be presented before them by mentioning the Case Registration number.

7. The District Level Committee shall adjudge the eligibility of Micro & Small Industrial Units and the State Level Committee shall adjudge the eligibility of the Medium / Large Industrial Unit, Mega Project and Ultra Mega Project.
8. State Level Committee shall have the power to condone the delay in the filing of application / to hear the appeal of dealers against the orders of the District Level committee.
9. On approval / rejection of case by District Level Committee, Chief General Manager/General Manager of District Trade and Industries Centre will accordingly issue eligibility certificate / Cancellation order. On approval / rejection of case by State Level Committee, Commissioner/Director Industries will issue accordingly eligibility certificate/Cancellation order. Cancellation Order shall contain reasons of cancellation, designation of appellate authority and also mention specified period for appeal.
10. Before issuing eligibility certificate, the dealer shall have to execute and register an agreement in the prescribed form on his own expenses with the Chief General Manager/General Manager of the concerned District Trade and Industry Centre.
11. The Committee shall ordinarily meet once in 3 months but meeting may be convened more frequently keeping in view the number of pending applications. The Committee

may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or to reject the application made thereof or call for additional information.

12. The State Level Committee shall have all powers either suo motto or on reference, to review its own decision or the decision of the District Level Committee or to give direction to the District Level Committee. State Level Committee shall be Appellate Committee against cancellation orders of the District level Committee. Once the matter is decided by the State Level Committee, review request of Industrial Units shall not be accepted.
13. The directions issued by the State Level Committee under this notification in respect of exemption scheme shall be binding on District Level Committee.
14. In the event of any dispute arising out of the decision of the State Level Committee regarding the eligibility of the facility of exemption from payment of tax by any dealer under this notification or any matter connected therewith, the matter may be referred to the State Appellate Forum. This appeal may be lie within 60 days from the date of communication of the order of State Level Committee.

(i) The State Appellate Forum shall consist of :

- |                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Minister in-charge, Commerce and Industries Department                | Chairman         |
| 2. Minister in-charge, Commercial Tax Department                         | Member           |
| 3. Principal Secretary/Secretary, Commercial Tax Department              | Member           |
| 4. Principal Secretary/Secretary, Law and Legislative Affairs Department | Member           |
| 5. Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries Department     | Member-Secretary |

(ii) The quorum for the State Appellate Forum shall be three and the quorum shall not be deemed to have been completed in absence of the member specified at Sr. No.4 and any one out of the members specified at Sr. No. 2 or 3 of sub para (i).

(iii) The State Appellate Forum shall, after consideration of each case referred to it, pass such order keeping in consonance with the provisions of the notification as it may think fit. Before passing of such order, Member Secretary, State Level Committee shall be given an opportunity to present case before Forum.

(iv) The order passed by the State Appellate Forum shall be final and binding and reconsideration/ review of said order shall not be entertained.

## **ANNEXURE-II**

**The exemption under this notification shall be available subject to the following general conditions:-**

1. (a) The dealer shall obtain a permanent eligibility certificate from the officer authorised for this purpose in the form and procedure specified in Form-B specifying *inter alia* the goods in respect of which the exemption is available and shall furnish a copy of such certificate to the assessing authority at the time of his assessment.  
(b) A copy of such certificate shall be furnished by the dealer along with his return for the quarter during which such certificate was issued to him.

- (c) Complete payment of other commercial taxes / VAT payable to Government and return of the last quarter shall be submitted.
2. If an eligibility certificate has been issued to a dealer due to misrepresentation of facts or on the basis of incorrect or false information furnished by him, the certificate shall be revoked from the date it was issued and thereupon the exemption under the notification shall stand withdrawn and the entire amount of tax in respect of which exemption has been availed of up to the date of cancellation shall be recoverable from the dealer in one installment along with simple interest of 12% per annum.
3. (a) If a dealer establishes a new industrial unit but closes down or deliberately reduces production substantially in an existing industrial unit within the state engaged in production of the same product, the eligibility certificate shall be cancelled by the competent authority issuing of such certificate and such cancellation order shall take effect from the date on which such substantial reduction in production has taken place.  
(b) A substantial reduction in production shall be deemed to have occurred if the production of the same product has fallen below the level of the average production of the preceding 5 years or 50% of the installed capacity, whichever is less.
4. A dealer who opts to avail of exemption under this notification in respect of a new industrial unit established by him and who already holds a registration certificate under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) for any other business activity shall, notwithstanding such registration, obtain a separate registration certificate as a new manufacturer industrial unit.
5. (a) The dealer shall keep the industrial unit running during the period of eligibility for exemption and also continue to do so for a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.  
(b) Without the prior permission in writing of the Commissioner /Director Industries, the dealer shall not,-  
(1) Change the location in whole or in part of the industrial unit; or  
(2) Dispose of any substantial part of the total capital investment in the industrial unit; or  
(3) Effect any change in the ownership during the period in which the facility of exemption is availed of and also within a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.  
Note : Change of ownership will be considered if holding is of less than 51% shares in the industry; or  
(c) in case a change in ownership is permitted, all the rights and liabilities under this notification shall passed on to the new owner.
6. The dealer shall regularly furnish the returns required to be furnished under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), before the Commercial Tax officer.

7. Every dealer shall maintain a ledger including details of materials purchased and products sold in respect of which the facility of exemption from payment of tax is availed of.
8. If the amount of tax in respect of which the facility of exemption is availed of exceeds Rs. 5 Lakhs in a year, the certificate of eligibility shall be valid only if the dealer produces an affidavit before the concerned Commercial Tax Officer a duly signed and self attested certificate of production.
9. The dealers shall provide minimum percentage of employment specified under this notification to the persons domiciled of the state in the category of unskilled labour, skilled labour and administrative posts during each year of the period of Eligibility Certificate.
10. (a) Any breach of any of the provisions and any of the conditions in this notification shall render the eligibility certificate liable for cancellation by the Committee sanctioning the issue of such certificate under this notification.  
(b) If the circumstances so warrant, such cancellation may be given retrospective effect.

### **ANNEXURE-III**

#### **(Appendix-II of Industrial Policy 2014-19)**

#### **(List of Saturated ineligible Industries)**

**(a) List of saturated industries for the entire state -**

1. Pan Masala, Gutkha, Supari and tobacco based industries.
2. Alcohol, Distillery and alcohol based beverages.
3. Crackers, Matchbox and industries related to Fireworks.
4. Saw mill.
5. Leather tannery.
6. Slaughter house.
7. Re-packing of any product.
8. Mineral water.
9. Polythene Bag (excluding HDPE bags).
10. Coal and Coke briquette, coal screening (excluding coal washery).
11. Manufacturing of Lime, Lime powder, Lime chips, Dolomite powder and all types of mineral powder.
12. Crushing, grinding and pulverizing of all type of mineral materials.
13. Stone crusher / manufacturing of Ballast (gitti).
14. Sponge Iron.
15. Clinker.
16. Such other industries which may be notified by the State Government .

**(b) List of saturated industries for industrially developing areas-**

1. Rice Mill, Paddy parboiling and mechanised cleaning.
2. Huller Mill.
3. Murmura Mill.
4. Solvent Extraction Plant based on Rice bran.
5. Refining of edible oil (independent unit)/refinery.

6. Mini Cement Plant.
7. Such other industries which may be notified by the State Government.

Note- In case of establishment of industry of saturated category along with industry of any other category, the eligibility under industrial investment promotion shall be decided by way of deducing the investment made on saturated category product from the investment of entire project.

### FORM-A

**Application for eligibility certificate for exemption from payment of entry tax  
(Under Commercial Tax Department Notification No.....Dated.....)**

I ..... (Name of the dealer) holding registration certificate No. .... Validity date ..... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and Central Sales Tax Act have established a new industrial unit / have undertaken expansion/diversification in my existing Industrial unit under the name(Name of unit) ..... located at (Place) ..... in the district of Chhattisgarh, the particulars whereof are given below,-

1 (A) – Name and Address of Industrial Unit

(B) –Factory Installation Location - Village..... Block.....District .....

2 Registration Details:

(A) E.M. part-1/ Alternate Certificate

E.M. part-2

I.E.M. No.

Industrial License No.

(B) Commercial Production Certificate

(C) Under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2of 2005)

(D) Others ( if any, pl specify )

3 Category of Industry

(A) New industrial unit / Expansion in the existing industrial unit/ Diversification in the existing Industrial Unit

(B) Micro/Small/Medium/Large/Mega/Ultra Mega

4. Category of Entrepreneur:

General/SC/ST/NRI/FDI/Export Unit/ Industry using Foreign Technology /Women Entrepreneur/Retd Military Personnel of State origin / Naxalism Affected Person/family/ Physically Challenged Person

5. Industry Product Details :

(1) New (1) Product Name

(2) Annual Production Capacity ( in Quantity )

(3) Date of commencement of Commercial Production

(2) Expansion in the existing Industrial unit

1. Product Name
2. Annual Production Capacity( in Quantity ) before expansion
3. Annual Production Capacity ( in Quantity ) after expansion
4. Expanded Production Capacity
5. Date of commencement of Commercial Production in the expanded capacity

(3) Diversification in the Existing Industrial Unit

1. Product and Production capacity ( in Quantity ) in the existing Unit
2. Diversification in the existing Unit
  - (i) Diversified Product
  - (ii) Yearly production capacity( in Quantity ) of Diversified Product
  - (iii) Date of commencement of production of Diversified Product
6. Fixed capital investment in the New Industrial Unit / expansion in the existing industrial unit/ Diversification in the existing Industrial Unit

( Rs in Lakhs)

Sl.No.	Particulars	Investment Details				Percentage Increase
		New Industrial Unit	Existing Industry	Expansion/ Diversification in the existing Industry	Total Fixed Capital Investment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Land					
2	Shed /Building					
3	Plant & Machinery					
4	Electricity Supply					
5	Water Supply					
	Total					

7. Details of Entry/ies of Product/s manufactured in New Industrial Unit/Expansion/Diversification of Production Capacity in Existing Industrial Unit in
  - (a) VAT Registration Certificate
  - (b) Commercial Production Certificate

8. Particulars of goods for consumption or use in the process of manufacture-

S.No.	Description of goods	Quantity
1	.....	.....
		.....

2

3.

9. Date of first purchase of raw material along with name

10. Compliance of Employment Criteria –

(A) New Industrial Unit

Category of labour	Total No. of employment provided	No. of employment provided to the domiciled residents of the state	Percentage of employment provided to the domiciled residents of the state in total employment
(1)	(2)	(3)	(4)
Unskilled Labour			
Skilled Labour			
Administrative/ Managerial Post			

(B) Expansion/ Diversification in the existing Industrial Unit

Employment in the existing Industrial Unit	Employment given till the date of commencement of the commercial production in the existing Industrial Unit	Employment given after the Expansion/ Diversification in the Existing Industry	Total employment given after the Expansion/ Diversification in the existing Industry	Increase in the employment	Percentage of increasing employment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Unskilled Labour					
Skilled Labour					
Administrative/ Managerial Post					
Total					

11. Date opted for exemption of entry tax

( Date of commencement of Commercial production or date of taking exemption for the first time, whichever is earlier )

12. Bank Account number of the Unit –

13. PAN Number/ TIN/CIN Number

The applicant prays that he may be granted an permanent eligibility certificate for exemption from payment of entry tax under the said notification.

Place .....

Signature .....

Date .....

Designation Seal

**DECLARATION**

I ..... (Name and Post of the deponent) -----  
(Name and Address of the Industrial Unit) declare that all the information provided by me in this application is true to my knowledge and I have the full knowledge of the content of the Notification and I am authorized to make Declaration on behalf of .....  
( Name of Dealer/Industry).

I shall comply with the general conditions specified in Annexure-II and the terms and conditions given in the Column 6 of Schedule of the said notification. I also declare that the No Objection Certificate/s (NOC/s) for the Establishment/Management of Industry, as provided, are Valid/Updated. On breach of any conditions by me if eligibility certificate for exemption is cancelled by the sanctioning authority then I shall pay the entire amount of tax in one installment in respect of which exemption has been availed of upto the date of cancellation with applicable interest within one month .

- 1.
- 2.
- 3.

Place .....

Signature .....

Date .....

Name & Designation

.....

Address

-----

**FORM - B**

**Certificate of Eligibility for Exemption of Entry Tax**

(Issued under Commercial Tax Department Notification No. .... dated .....)

1. Certified that the dealer (Name and address) ..... holding registration certificate No. .... date ..... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 is eligible to avail of the facility of exemption from payment of entry tax in respect of the new industrial unit / expanded capacity of the existing industrial unit/Diversification in the existing Industrial Unit.

2. The dealer has established a new industrial unit/has undertaken expansion in his existing industrial unit/ has done Diversification in the Existing Industrial Unit and is eligible for availing of the aforesaid facility in respect of the following goods consumed or used in the




process of manufacture of goods and the said goods are specified in his registration certificate under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005:

- (1) .....
  - (2) .....
  - (3) .....
  - (4) .....
3. The dealer has commenced commercial production on \_\_\_\_\_ for new industrial establishment/ expansion/diversification in existing industrial establishment
4. Product and the Annual Production capacity of the New Industrial Unit
- Or
- In case of the Expansion in the existing Industrial Unit, the expanded yearly production capacity
- (a) Production capacity prior to expansion .....
  - (b) Production capacity after to expansion.....
  - (c) In Diversification, name and capacity of product of existing Unit, the Diversified product and production capacity.
5. The dealer has opted for entry tax exemption from date.....
6. The dealer has commenced production in the new industrial unit/in the expanded capacity of the existing industrial unit on .....
7. Category of Industry ((General Sector Industry / Special Thrust Sector Industry).....
8. Area where the industry is situated (Industrially Developing Area / Industrially Backward Area) .....
9. Production capacity of the industrial unit-
- (a) Installed capacity of the new industrial unit .....
  - (b) Expansion in the existing industrial unit-
    - (i) Production capacity prior to expansion .....
    - (ii) Production capacity after to expansion.....
  - (c) Diversification in the existing industrial unit-
    - (i) Diversified Product Name
    - (ii) Production capacity prior to diversification.....
    - (iii) Production capacity after to diversification .....
10. This certificate is valid for the period from ..... to ..... (both days inclusive).

Place .....  
Date .....

Signature .....  
Designation .....  
{Director/Commissioners Industries /  
CGM/GM DTIC.....(name)}

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,  
  
( A. P. Tripathi )  
Special Secretary